राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(ग्रुप– 3)

क्रमांक प.6(57)/प्र.सु./अनु.3/2004(1)/ जयपुर, दिनांक 15.02.2007

आज्ञा

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.10.2004 द्वारा गठित सर्वाधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee) का नाम इस आदेश द्वारा राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति (State Level Apex Committee) किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा प्रदान की जाती है। इस आदेश द्वारा महानिदेशक, नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन. आई.सी) को पूर्व में नामित सदस्यों के अतिरिक्त राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

अतः राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति (State Level Apex Committee) का निम्नानुसार गठन एतद् द्वारा किया जाता है:–

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त	सदस्य
4.	शासन सचिव, योजना	सदस्य
5.	संबंधित विभागों के सचिव	सदस्य
6.	प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से मनोनित प्रमुख तकनीकी संस्थओं, तकनीकी के दो विशेषज्ञ (जैसे IIT, BITS, Pilani, LNMIT etc.)	विशेष आमंत्रित
7.	महानिदेशक, नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी)	सदस्य
8.	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य सचिव

पूर्व में जारी आदेश में वर्णित कार्यो के अतिरिक्त राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति (State Level Apex Committee) निम्नलिखित कार्य भी सम्पादित करेगी:–

1. मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का मूल्यांकन
2. सूचना प्रौद्योगिकी नीति का क्रियान्वयन एवं पुर्नरीक्षण
3. केन्द्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना

कृ.प.उ.

4. विभाग स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का पुर्नरीक्षण
5. नागरिक केन्द्रित परियोजनाओ का प्रारूप निर्धारण
6. सूचना प्रौद्योगिकी ढॉचे का विस्तार एवं विकास
7. सूचना प्रौद्योगिकी की लाभदायक परियोजनाओं के लिए दिशा निर्देशों का निर्धारण

राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति का प्रशासनिक विभाग सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग होगा।

आज्ञा से,

उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
5. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. सचिव, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रोनिक निकेतन, नई दिल्ली
7. समस्त संभागीय आयुक्त
8. महानिदेशक, नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी), नई दिल्ली
9. समस्त शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
10. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान, जयपुर
11. समस्त जिला कलैक्टर, राजस्थान
12. राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति के समस्त सदस्य (समिति के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से)
13. उपशासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर
14. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय—I, II, III एवं IV)
15. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियॉ संबंधित सदस्यों हेतु प्रेषित है।
16. रक्षित पत्रावली

उपशासन सचिव